2025/1072

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

परमेश्वरी देवी बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 575 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
11/12/25	प्रार्थीया परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम जाति बलाई निवासी ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम नीमनाड्या पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 13 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणीदेवी पुत्री नोला दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम नीमनाड्या पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 53 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणीदेवी पुत्री नोलु दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम नागवा पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 224 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणी पुत्री नोला दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणीदेवी पुत्री नोला/नारायणीदेवी पुत्री नोलु/नारायणी पुत्री नोला के स्थान पर परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1808 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नीमनाड्या पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 13 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणीदेवी पुत्री नोला के स्थान पर नारायणीदेवी उर्फ परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम नीमनाड्या पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 53 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणीदेवी पुत्री नोलु के स्थान पर नारायणीदेवी उर्फ परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम नागवा पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 224 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि नारायणी पुत्री नोला के स्थान पर नारायणी उर्फ परमेश्वरी देवी पुत्री नोला राम दुरूस्त किये जाने के आदेश [illegible] तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं [illegible] हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी [illegible] जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक [illegible]/2025/1808 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद [illegible] लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.11 11:58:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner